

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
E.A 13 OF 2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 503 OF 2025**

IN THE MATTER OF:

DEEPAK KUMAR

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

.... RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, DISTRICT MAGISTRATE, MUZAFFARNAGAR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	THE SAID REPORT ALONG WITH UPPCB LETTER DATED 24.07.2025 IS BEING ANNEXED COLLECTIVELY HEREWITH AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 08.12.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE SAID LETTER AND INSPECTION REPORT DATED 24.12.2025 ALONG WITH PHOTOGRAPHS ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-3	

5.	A COPY OF THE SAID CTE DATED 04.10.2023 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE- 4	
6.	A COPY OF THE SAID NOTIFICATION DATED 17.10.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE SAID INSPECTION DATED 27.03.2026 ALONG WITH PHOTOGRAPHS TAKEN ARE BEING ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE- 6	
8.	COPY OF A SATELLITE MAP PHOTOGRAPH VERIFYING THE SAID LATITUDE AND LONGITUDE IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE- 7	

DATE: 10.04.2026

PLACE: NOIDA

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
 STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

E.A 13 OF 2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 503 OF 2025



IN THE MATTER OF:

DEEPAK KUMAR

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

..... RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL

I, Umesh Mishra, aged about 54 years S/o Shri M.P. Mishra, presently posted as District Magistrate, Muzaffarnagar, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

8 APR 2026

[Handwritten Signature]

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. The Applicant had raised a grievance against the construction of a Compressed Biogas Plant inside the Village Rohana Khurd, District Muzaffarnagar, Uttar Pradesh by M/s. MST Resolutions Private India Limited.
4. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 18.03.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

2. Learned counsel for the applicant submits that in compliance of the order of the Tribunal, applicant had submitted the representation to the District Magistrate, Muzaffarnagar and the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board on 26.10.2025 and thereafter a Joint Committee was constituted by the District Magistrate on 08.12.2025 but subsequently no action has been taken and the order of the Tribunal has not been complied with."

3. Issue notice in the Execution Application to the respondents.

II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. It is submitted that the CBG plant in question is currently under construction at Village Rohana Khurd, Tehsil Sadar, District Muzaffarnagar, at Khasra

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
8 APR 2026

[Handwritten Signature]

Nos. 582, 583, 584, 586, 603 and 604 of Village Rohana Khurd, Pargana, Tehsil and District Muzaffarnagar, with the name of M/s MST Resolution India Pvt. Ltd.


A. CONSTITUTION OF 3-MEMBER COMMITTEE

6. That in pursuance of the complaint dated 18.06.2025, submitted by Shri Deepak Kumar and other residents of Village Rohana Khurd, received through the Government against the SDM Sadar, the **Deponent constituted a three-member committee comprising of: 1) Additional District Magistrate (Administration), 2) Additional District Magistrate, (Judicial) and 3) City Magistrate, Muzaffarnagar** to enquire into the matter.

7. Subsequently, the Deponent, vide letter dated 16.07.2025, directed that an inquiry report be submitted regarding the complaint alleging **illegal occupation of land by the unit and illegal installation of a Compressed Biogas (CBG) plant in violation of all government rules and standards.**

In compliance thereof, the inquiry report was forwarded on dated 01.2026.

The said report along with UPPCB letter dated 24.07.2025 is being annexed collectively herewith as **ANNEXURE-1.**



PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

8 APR 2026

B. INSPECTION REPORT DATED 24.12.2025

8. It is submitted that in compliance of the order of the Hon'ble Tribunal dated 10.10.2025, a Joint Team was constituted by the Deponent comprising of SDM Sadar, Deputy Commissioner Industries and the Regional Officer, UPPCB to conduct the site inspection and submit a factual report of the same.

A copy of the said letter dated 08.12.2025 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**

9. It is submitted that vide letter dated 24.12.2025, the Sub Divisional Magistrate, Sadar has informed the Deponent that a site inspection was carried out by the Development Department and the Revenue Team.

10. That with the consent of the villagers and the Gram Pradhan, drainage construction work was carried out at one end of the road leading from the village to Chhappar Road in order to resolve the problem of water drainage in Village Rohana Khurd. That further, the problem of water drainage has been fully resolved. At present, no issue relating to water drainage remains.

A copy of the said letter and inspection report dated 24.12.2025 along with photographs are being annexed herewith as **ANNEXURE-3**

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

8 APR 2026



[Handwritten signature]

C. GRANT OF CTE BY UPPCB

11. That it is also worthwhile to mention here that UPPCB vide letter dated 04.10.2023 had granted CTE (Consent to Establish) to the Project Proponent, which is to remain effective till 03.10.2028.

NOTARY

A copy of the said CTE dated 04.10.2023 is being annexed herewith as

ANNEXURE- 4

NOTARY

12. It is submitted that in consonance of: UPPCB letter dated 29.10.2025, pursuant to Notification No. GSR 762(E) dated 17.10.2025 issued under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and

NOTARY

Notification No. GSR 762(E) dated 17.10.2025 issued under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, industries falling under the

White Category have been granted exemption from consent-related provisions, subject to the condition that industries covered under the White

Category shall intimate the State Board in writing.

NOTARY

A copy of the said Notification dated 17.10.2025 is being annexed herewith

as **ANNEXURE-5**

NOTARY

D. FRESH INSPECTION CONDUCTED ON 27.03.2026

13. It is submitted that in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, the UPPCB conducted an on-site inspection of the said plant on 27.03.2026.

That during the inspection, it was found that the construction work of the

NOTARY

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
8 APR 2026

8/1

plant is still ongoing and is under process.

A copy of the said inspection dated 27.03.2026 along with photographs taken are being annexed herewith and collectively marked as ANNEXURE- 6

E. PRESENT STATUS

14. It is submitted that currently, construction of the CBG Plant is in progress and hence, non-operational. Furthermore, according to the joint committee report, a **primary school is located at a distance of approximately 28 meters in the north-west direction** from the boundary wall of the site and the **latitude and longitude** of the site are **29.585200** and **77.701586**, respectively.

Copy of a satellite map photograph verifying the said latitude and longitude is being annexed herewith as ANNEXURE- 7

15. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

16. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
8 APR 2026



DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Muzaffarnagar on this 08th day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

NOTARY

[Handwritten Signature]
8.4.26

DEPONENT



Omish. mishra. s/o. M.P.
Sworn before me dt.
the deponent. *Mishra. Post.*
is/are identified by Shri.
I have satisfied myself that *D.M. (mother)*
deponent who understands the contents of
the affidavit which has been read out &
explained by me to the deponent fee....
charged Rs.
NOTARY, DISTT. MUZAFFARNAGAR

Identified by *[Signature]*

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
8 APR 2026



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 429 / NOC-36 / MZR / 2025
Ref. No.

दिनांक
Dated 24.7.2025

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।


विषय:—मै० एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा०लि०, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर,
जिला-मुजफ्फरनगर की स्थापना सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 169/एसटी/प्र०-2025 दिनांक 18.07.2025, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2025 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम रोहाना खुर्द ग्राम रोहाना खुर्द स्थित हडवाडों की भूमि पर अवैध कब्जा कर कम्पोस्ट बायोगैस सी.बी.जी. कम्पनी के सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से लगवाये जाने की शिकायत के क्रम में जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


24/7/25
(गीतिका चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी
h
ll
(AEE)

उद्योग मै0 एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा0लि0, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर के पत्रांक 169/एसटी/प्र0-2025 दिनांक 18.07.2025, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2025 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम रोहाना खुर्द के शिकायती पत्र दिनांक 18.06.2025 को संलग्न कर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 1669/ओएसडी दिनांक 16.07.2025 द्वारा शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच हेतु समिति गठित करते हुए सुस्पष्ट जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शिकायती पत्र में ग्राम रोहाना खुर्द स्थित हडवाडों की भूमि पर अवैध कब्जा कर कम्पोस्ट बायोगैस सी.बी.जी. कम्पनी के सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से लगवाये जाने की शिकायत की गयी है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में विस्तृत जाँच एवं तथ्यात्मक आख्या निम्नवत् है :-

- 1- मै0 एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा0लि0, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर पर स्थित है, जिसमें कच्चे माल के रूप में Cow Slurry, Agri waste, Vegetable waste, Press Mud, Sugarcane Waste, Straw and Rice Silage का प्रयोग कर Compressed Biogas, Fermented Organic Manure का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रस्तावित इकाई स्थल पर बाउण्ड्री वॉल एवं भूमिगत टैंक निर्माणाधीन अवस्था में है। वर्तमान में इकाई संचालित नहीं है।
- 2- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग मै0 एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा0लि0, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा उद्योग की स्थापना खसरा सं0-582, 583, 584, 586, 603 व 604 ग्राम रोहाना खुर्द, परगना व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर पर किये जाने का प्रस्ताव वांछित अभिलेखों (भू-प्रयोग प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट व अन्य) के साथ दिनांक 19.09.2023 को निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था।
- 3- उद्योग के आवेदन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 04.10.2023 को उद्योग प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग स्थल उपयुक्त पाये जाने की दशा में राज्य बोर्ड के पत्रांक 191221/UPPCB/MuzaffarNagar(UPPCBRO)/CTE/MUZAFFARNAGAR/2023 दिनांक 04.10.2023 द्वारा उद्योग को स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है (संलग्नक-1)।
- 4- उद्योग के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) एवं ग्राम रोहाना के निवासियों द्वारा जनशिकायत प्राप्त होने के दृष्टिगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.01.2025 को किया गया, जिसमें पाया गया कि उद्योग की स्थापना अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय दिखाये गये प्रस्तावित स्थल से हटाकर आबादी के समीप की जा रही है। उद्योग की स्थापना राज्य बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के दृष्टिगत तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्र 1349/एनओसी-36/एमजेडआर/2025 दिनांक 29.01.2025 द्वारा उद्योग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया

(संलग्नक-2)। तत्पश्चात् राज्य बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा पत्रांक-एच25294/सी-3/वायु-621/2025 दिनांक 07.03.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की यथासंशोधित धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है (संलग्नक-3), जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

5- राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में उद्योग द्वारा दिनांक 28.03.2025 को ई-मेल के माध्यम से एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा उद्योग से जनित फर्मेन्टेड ऑर्गेनिक मैन्चोर लिक्विड फर्मेन्टेड ऑर्गेनिक मैन्चोर को टैंकर के माध्यम से Designated Central Feedstock & Fertilizer Processing Unit (अक्षांश-29.57691667, देशान्तर 77.6953333) स्थल पर आबादी से दूर विस्थापित किये जाने हेतु किरायानामा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका खसरा सं0-201 रकबा 9125 वर्गमी0 है (संलग्नक-4)।

6- उद्योग द्वारा Designated Central Feedstock & Fertilizer Processing Unit को आबादी से दूर अन्य स्थल पर विस्थापित किये जाने के प्रस्ताव के दृष्टिगत राज्य बोर्ड मुख्यालय के विधि अनुभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने हेतु प्रस्तावित उद्योग को स्थापना हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित खसरा संख्या 582, 583, 584, 586, 603 एवं 604, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर पर निर्माण कार्य किये जाने अथवा नहीं के अतिरिक्त उद्योग की स्थापना किसी अन्य स्थल पर किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा पत्रांक 294/एनओसी-36/2023/एमजेडआर/2025 दिनांक 17.06.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी आख्या अभी अपेक्षित है (संलग्नक-5)।

उपरोक्त सूचना एवं आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Pareek 24.7.25
T.R.F

Raj Gupta
24/7/25
(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

Kulvish - 02
24/7/25
(कुँवर संतोष कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Jais

ANNEXURE-2

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 994/ओ०२०२०५०३/दीपक कुमार/२०२५ दिनांक : ०८-१२-२०२५
--: आदेश ::--

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या ५०३/२०२५ दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अदर्स में दिनांक १०.१०.२०२५ को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

"1. In this original application, the Applicant had raised a grievance against the construction of a Compressed Biogas Plant inside the Village Rohana Khurd, District Muzaffarnagar, Uttar Pradesh by M/s. MST Resolutions Private India Limited - Respondent No. 3.

2. The grievance of the Applicant is that the plant is being set up adjacent to the residential area of the village and only 5 meters away from the existing school.

3. Learned Counsel for the Applicant submits that the Applicant has no objection to the setting up of the plant, but they have objection to its location near the residents and near the school. He has pointed out that the representation dated 27.05.2024, Annexure A-4 has been made to the District Magistrate, Muzaffarnagar and another representation Annexure A-5 has been sent to the Regional Officer, Pollution Department, District Muzaffarnagar and these representations have not been considered till now.


4. Having regard to the nature of grievance which the Applicant has raised, we deem it proper that the concerned authorities, i.e., District Magistrate and the Regional Officer should consider the grievance raised by the Applicant in the representation expeditiously.

5. Hence, we dispose of the OA directing the Respondent No. 1, District Magistrate, Muzaffarnagar and Respondent No. 2-UPPCB to duly consider the representations made by the Applicant in accordance with law after following the due process, as expeditiously as possible, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में उद्योग स्थल के संयुक्त निरीक्षण एवं मा० अधिकरण के समक्ष संयुक्त आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-


- 1- उपजिलाधिकारी-सदर, मुजफ्फरनगर।
- 2- उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुजफ्फरनगर।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति द्वारा उद्योग स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या एक सप्ताह के अन्दर मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि :

- 1- उपजिलाधिकारी-सदर, मुजफ्फरनगर को अनुपालनार्थ।
- 2- उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुजफ्फरनगर को अनुपालनार्थ।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।


जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

29.12.25

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी-सदर,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

संख्या: 167 /एस0टी0-25,

दिनांक 24-12-2025

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 503/2025 दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में दिनांक 10.10.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 994/ओ0ए0न0 503/दीपक कुमार/2025, दिनांक 08.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 503/2025 दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन हेतु उद्योग स्थल के संयुक्त निरीक्षण एवं मा0 अधिकरण के समक्ष संयुक्त आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुए संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित है।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(प्रवीण कुमार द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

AEE/SE


29/12/25

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र संजीव भारद्वाज व अन्य ग्रामवासी ग्राम रोहाना खुर्द परगना व तहसील सदर द्वारा इस आशय से दिया गया है कि ग्राम रोहाना खुर्द में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर द्वारा गठित टैक्नीकल टीम द्वारा बताये गये स्थान पर न कराकर अन्य स्थान पर कराया जा रहा है इसको रूकवाया जाये व टैक्नीकल टीम द्वारा बताये गये स्थान पर ही नाला निर्माण कार्य कराया जाये। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है।


विकास विभाग एवं राजस्व टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया संभ्रान्त ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान की सहमति से ग्राम रोहाना खुर्द की पानी निकासी की समस्या के समाधान हेतु ग्राम से छपार रोड़ तक जाने वाले रास्ते के एक सिरे पर नाला **सुद्वि** का कार्य किया गया, जिससे पानी निकासी की समस्या का पूर्ण समाधान हो गया है। वर्तमान में पानी निकासी की कोई समस्या शेष नहीं है। आख्या तदानुसार महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।


नोट:—ग्राम प्रधान व अन्य संभ्रान्त ग्रामवासियों के बयान/शपथ पत्र तथा मौके छायाचित्र संतुष्टि स्वरूप संलग्न है।


ग्राम प्रधान




ना. ह. त. क. कार.


तहसीलदार सदर
मुजफ्फरनगर


GM/ACI
DIE
M.N.





UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :04/10/2023 To 03/10/2028

Ref No. -
191221/UPPCB/MuzaffarNagar(UPPCBRO)/CTE/MUZAFFARNAG
AR/2023

Dated:- 04/10/2023

To ,

Shri SAMRAT TYAGI
M/s MST RESOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
Village - Rohana Khurd, Muzaffarnagar U.P.,MUZAFFARNAGAR,251202
MUZAFFARNAGAR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 22424604 dated - 19/09/2023. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Cow slurry, agri-waste, and vegetable waste from Mandi OR Press mud from sugar mills, sugar cane waste, straw and rice silage	Metric Tonnes/Month	0

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Compressed Bio GAS	195
Fermented Organic Manure	1500

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
None	Metric Tonnes/Month	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Digitally signed
by ANKIT SINGH
Date: 2023.10.04
18:35:26 +05'30'

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Ground Water (within premises)	Submersible	15.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	3.0
Others(Plantation)	3.0
Process	9.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 03/10/2028 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

**ANKIT
SINGH**

Digitally signed
by ANKIT SINGH
Date: 2023.10.04
18:35:43 +05'30'

1. This Consent to Establish is being granted to M/s. MST Resolutions India Pvt. Ltd. for establishment of a unit at Vill. Rohana Khurd, Tehsil and District Muzaffarnagar on proposed Khasra No. 582, 583, 584, 586, 604 and 604 only for Production of Compressed Biogas 195 MT/Month, Fermented Organic Manure 1500 MT/Month ONLY. This Consent to Establish will be VOID if there is any change in above mentioned address or product.
2. This Consent is valid for the Establishment of unit only. In case of any change in production capacity, process, raw materials use etc. the Unit will have to intimate the Board. For any enhancement of the above, fresh Consent to Establish has to be obtained from U.P. State Pollution Control Board.
3. Unit shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEf&CC i.e. Plastic Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, E-waste (Management) Rules, 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
4. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the Unit shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A)
5. Unit shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
6. The Unit shall adhere to general standards terms and conditions of Water/Air Acts and compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986.
7. Industry will not start its operation, unless consent to operate is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
8. Unit should develop minimum green belt 20 meter wide around premises or 33% total area of land whichever is minimum, covered by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H- 16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guide_160218.pdf. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:- <http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx>.
9. Prior to abstraction, industry shall obtain a No Objection Certificate from U.P. Ground Water Authority for abstraction of ground water.
10. Unit shall ensure to install proposed Activated Carbon Filter for control of odour generated from Anaerobic Digester.
11. As per the proposal submitted by the project proponent, unit shall ensure to take adequate measures for not discharging any industrial effluent from the outside of premises. Only domestic discharge 2.0 KLD will be disposed off through Septic Tank.
12. This NOC is issued purely from environmental angle and the Board will not be responsible for any claim, counter claim, ownership, partnership, land dispute etc. of the unit.
13. Industry shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission. Please note that consent to operate will be revoked, in case of noncompliance of any of the above mentioned conditions.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 04/11/2023 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

ANKIT SINGH Digitally signed
by ANKIT SINGH
Date: 2023.10.04
18:36:01 +05'30'

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

Dated:- 04/10/2023

Copy To -

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267045
CG-DL-E-21102025-267045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 678]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 762(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 703 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

श्वेत श्रेणी क्षेत्रों की सूची

क्रम सं.	औद्योगिक संयंत्र या क्षेत्र
1.	साइकिल, शिशु गाड़ियां और अन्य छोटे गैर मोटर चालित वाहनों की असेंबली
2.	बेकार कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)

3.	अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
4.	ढलाई के बिना मुद्रण हेतु ब्लॉक बनाना (लकड़ी के ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
5.	सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूर्णतः शुष्क यांत्रिक प्रचालन)
6.	जूता ब्रश और वायर ब्रश का निर्माण
7.	कॉयर फाइबर या पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉयर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
8.	एयर कूलर या कंडीशनर की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
9.	कार्डबोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
10.	प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना/विद्युत ओवन)
11.	भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रिएक्टर के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन किए बिना)
12.	प्रयुक्त खाना पकाने के तेल संग्रह केंद्र (यूसीओ)
13.	साबुन विनिर्माण (हस्तनिर्मित - भाप उबालने या बॉयलर के बिना)
14.	डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
15.	केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब) और सीएफएल का निर्माण
16.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संयोजन (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
17.	इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयाँ (बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण परिचालन/पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
18.	स्प्रे पेंटिंग के बिना बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण (आरा मिल को छोड़कर) विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे कि विद्युत लकड़ी योजनाकार, स्टील आरी काटने वाले गोलाकार ब्लेड आदि की मदद से।
19.	स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर
20.	फीडस्टॉक पर आधारित संपीडित बायो गैस संयंत्र- नगर निगम का ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास या खरपतवार, पशु अपशिष्ट, दबा हुआ कीचड़, आदि (औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट के अतिरिक्त समान प्रकार के फीडस्टॉक के रूप में), कोई अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं करते और उप-उत्पादों का उत्पादन करते हैं,- (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और /या तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) समृद्ध खाद और /या (ii) विद्युत का उपयोग करके कोयले का चूर्ण या गोली बनाना।

21.	अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बिल्ड आन आपरेट / बिल्ड आन आपरेट ट्रांसफर / बिल्ड आपरेट ट्रांसफर मोड आदि पर इलेक्ट्रोसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना।
22.	संपीड़ित ऑक्सीजन गैस, कच्चे द्रव ऑक्सीजन से (किसी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
23.	कांच की नलियों से कांच और ऐम्प्यूल और शीशियां बनाना
24.	कांच नट की सजावट
25.	मेडिकल ऑक्सीजन
26.	हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
27.	वैज्ञानिक और गणितीय विनिर्माण
28.	जूट से उत्पादों का निर्माण (बिना रंगाई या बिना बॉयलर के)
29.	चमड़े के जूते और चमड़े के उत्पाद (टैनिंग और खाल प्रसंस्करण को छोड़कर)
30.	चमड़े की कटाई और सिलाई (10 से अधिक मशीनों और मोटर का उपयोग करके)
31.	जैविक खाद (भौतिक मिश्रण)
32.	पाउडर दूध की पैकिंग
33.	कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
34.	तार खींचना और तार जाल लगाना (परिष्करण रहित और ताप उपचार रहित)
35.	धातु आवरण डिब्बे का विनिर्माण
36.	भौतिक मिश्रण द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व (बॉयलर के बिना और किसी रिएक्टर के बिना)
37.	बिस्कुट तश्तरी आदि (स्वचालित निर्वात बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
38.	केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन का निर्माण
39.	ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन से मिलाकर)
40.	पेपर पिन, यू-क्लिप आदि का निर्माण।
41.	सौर फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन
42.	विद्युत मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
43.	प्लास्टिक या कपास की रस्सी का निर्माण
44.	टायर रेट्रेडिंग
45.	संग्रहण केंद्र (प्रदूषण-निवारण, वहिःस्राव और कतरन के बिना)
46.	केवल शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पाद (वहिःस्राव-उत्पादन प्रक्रिया के बिना)
47.	सौर मॉड्यूल या गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण का निर्माण

48.	डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
49.	चाय का सम्मिश्रण और पैकिंग
50.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें बिना बॉयलर के डबलिंग या रीलिंग या टीएफओ-टू फॉर वन यूनिट (शुष्क प्रक्रिया) शामिल है-
51.	सूती और ऊनी होज़ियर बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई या धुलाई प्रक्रिया के)
52.	रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्य के लिए
53.	जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों पर आधारित घरेलू जैव-पाचक/ गोबर-गैस (गोबर) संयंत्र आदि।
54.	मिनी हाइडल पावर प्लांट (क्षमता-25 एमवी)
55.	कृषि-उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, जो केवल स्वच्छ ईंधन-विद्युत कार्बनिक ईंधन (अपशिष्ट उत्पादन के बिना) का उपयोग करती हों।
56.	संयोजन इकाइयाँ और यांत्रिक कार्यशालाएँ (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)
57.	बेकरी, कन्फेक्शनरी और मिठाई उत्पादन इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, केवल स्वच्छ ईंधन - बिजली / गैसीय ईंधन का उपयोग करती हों और टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति हो।*
58.	शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सफाई और अन्य ब्रशों का निर्माण (बिना मोल्टिंग और बिना अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पादन के)
59.	मवेशी/मछली/मुर्गी आहार गोली निर्माण (बॉयलर और वहिःस्नाव उत्पादन के बिना केवल पैलेटाइजेशन इकाई)
60.	सीमेंट उत्पाद (एस्बेस्टस का उपयोग किए बिना) जैसे पाइप, खंभा, जाफरी, कुआं रिंग, ब्लॉक/टाइलें आदि (<1 टीपीडी)*
61.	विद्युत भट्टी द्वारा सिरैमिक कप और प्लेटों की सजावट
62.	डिटर्जेंट पाउडर निर्माण (हस्तनिर्मित- भाप उबालने या बॉयलर के बिना)*
63.	फ्लेक्स या विनाइल, पीवीसी आदि पर डिजिटल प्रिंटिंग (5 मशीनों से कम)*
64.	केवल बिजली का उपयोग करके आसुत जल (< 1 KLD क्षमता)*
65.	तांबे और एल्यूमीनियम तार की डीपीसी (पेपर कोटिंग) (केवल शुष्क प्रक्रिया)

66.	खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई (क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम) जो केवल स्वच्छ ईंधन- विजली/गैसीय ईंधन का उपयोग करती है, तथा टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति रखती है।*
67.	केवल ईंधन वितरण इकाई, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना
68.	स्वर्ण परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र
69.	निष्कर्षण के बिना हर्बल पाउडर उत्पाद बनाना (शुष्क प्रक्रिया- उत्सर्जन या वहिःस्राव उत्पादन के बिना)
70.	इंजीनियरिंग प्लास्टिक से औद्योगिक वस्तुएं केवल निर्माण प्रक्रिया द्वारा (मोल्डिंग के बिना)
71.	सभी प्रकार के धागे, डोरियाँ, सुतली आदि का निर्माण (बिना ओटाई के)
72.	विक्स, टेप, पट्टियाँ, सोखने वाली कपास आदि का निर्माण (बॉयलर और वहिःस्राव उत्पादन के बिना सूखी प्रक्रिया)
73.	घरेलू हार्डवेयर और बर्तनों का निर्माण (बिना ऊष्मा/सतह उपचार/वहिःस्राव उत्पादन के)
74.	केवल कटिंग/सिलाई/गर्मिंग द्वारा उत्पादों का विनिर्माण (वहिःस्राव/उत्सर्जन उत्पादन के बिना)
75.	केवल भौतिक मिश्रण के माध्यम से उत्पादों का विनिर्माण जैसे - फ्लोर पॉलिश, नेल पॉलिश, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट, परफ्यूम, हैंड सैनिटाइज़र, (सूक्ष्म और लघु पैमाने पर संचालन)
76.	सैनिटरी नैपकिन/डायपर फिक्सिंग और सीलिंग का विनिर्माण (अपशिष्ट/वहिःस्राव उत्पादन के बिना लघु और सूक्ष्म पैमाने की इकाइयाँ)
77.	स्टेशनरी वस्तुओं का विनिर्माण (संयोजन और काटने या छिद्रण या स्टेपलिंग या बाइंडिंग आदि द्वारा)
78.	मशीनों के माध्यम से धातु निर्माण कार्य और हस्त उपकरण निर्माण (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)
79.	तेल मिल घानी और निष्कर्षण, हाइड्रोजनीकरण रहित शोधन, क्षमता 500 किग्रा/दिन से अधिक नहीं*
80.	खाद्य पदार्थों की पैकिंग (प्रसंस्करण के बिना)
81.	पेंट और वार्निश मिश्रण और सम्मिश्रण (बॉल मिल के बिना और केवल सूखी प्रक्रिया)
82.	प्लास्टिक तार, जाल, निवार और अन्य उत्पाद (लूपिंग, घुमाव, काटने आदि के माध्यम से शुष्क प्रक्रिया)

83.	सुरसुरे या चूड़ा, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक न हो*
84.	चावल मिलों में प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक क्षमता वाली होलर मशीन*
85.	छोटे पैमाने के रेस्तरां या होटल बिना कमरे/क्लाउड किचन या रिसॉर्ट (बिना ठहरने/कमरे की सुविधा के)*
86.	खेल सामग्री निर्माण इकाइयाँ (लकड़ियों को बिना पकाए)

मौजूदा हरित श्रेणी क्षेत्र का उप-क्षेत्र

[फा. सं. न्यू-15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू/ई-240741]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 703(अ), तारीख 12 नवंबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 511(अ), तारीख 28 जुलाई, 2025 को अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025


G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the further amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated 12th November, 2024, namely:

In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

LIST OF WHITE CATEGORY SECTORS

Sl. No.	Industrial plants or Sector
1.	Assembly of Bicycles, Baby carriages and other small non motorizing vehicles
2.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
3.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
4.	Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
5.	Flavoured Betel nuts production/grinding (completely dry mechanical operations)
6.	Manufacturing of shoe Brush and Wire Brush
7.	Coir fibre or pith processing and/or Manufacturing of coir products from coir (only dry process)
8.	Assembly of air coolers or conditioners, repairing and servicing
9.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boilers)

10.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying or electrical oven)
11.	Standalone manufacturing of Concrete admixtures up to 1000 MT per Month capacity by physical mixing (without boiler and reactor and no generation of wastewater)
12.	Used cooking oil collection centres
13.	Soap manufacturing (handmade-without steam boiling or boiler)
14.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
15.	Electric lamp (bulb) and Compact Fluorescent Lamp (CFL) manufacturing by assembling only
16.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
17.	Engineering and fabrication units dry process without any heat treatment/metal surface finishing operations or painting)
18.	Carpentry and wooden furniture manufacturing without spray painting (excluding saw mill with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting, circular blade, etc.
19.	Steel furniture without spray painting
20.	Compressed Bio Gas plants based on feedstock-Municipal Solid Waste, agro-residue, energy crops grass or weeds, animal waste, press mud, etc. (as similar type feedstock apart from industrial or process waste), not discharging any waste water and producing by-products.- (i) Fermented Organic Manure (FOM) and/or Liquid Fermented Organic Manure (LFOM), enriched manure and/or (ii) Briquette or pellet using electricity. 
21.	Hydrogen production through electrolysis (using renewable energy) on Build-Own-Operate (BOO) or Build-Own-Operate –Transfer ((BOOT) or Build-Operate-Transfer (BOT) mode etc., located in the premises of end user industry and directly using de-mineralized water & other utilities (cooling tower, ETP, etc.) sourced from end user industry
22.	Compressed oxygen Gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure and temperature only for separation of other Gases)
23.	Glass and ampules and vials making from Glass tubes
24.	Glass nut decorticating
25.	Medical Oxygen
26.	Handloom/carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
27.	Manufacturing of scientific and mathematical
28.	Manufacturing of products from jute (without dyeing or without boiler)
29.	Leather foot wear and Leather products (excluding tanning and hide processing)
30.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
31.	Organic Manure (physical mixing)
32.	Packing of powdered Milk
33.	Cold rolling mill (without heat treatment)
34.	Wire drawing and wire netting (without pickling and without heat treatment)
35.	Manufacturing of Metal caps containers etc

36.	Organic and inorganic Nutrients by physical mixing (without boiler and without any reactor)
37.	Biscuits trays etc. from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
38.	Fountain Pen manufacturing by assembling only
39.	Glass Putty and sealant (by mixing with machine only)
40.	Manufacturing of Paper Pins, U-clips, etc.
41.	Solar Power generation through solar photovoltaic cell and wind power
42.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
43.	Manufacturing of plastic or cotton Rope
44.	Type Retreaders
45.	Collection Centres (Without depollution, dismantling and shredding)
46.	Surgical and medical products assembled only (without effluent-generating process)
47.	Manufacturing of Solar module or non-conventional energy apparatus
48.	Digital thermometer manufacturing
49.	Blending and packing of tea
50.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling or Reeling or TFO-Two for one unit (dry process)- without boiler
51.	Cotton and woollen Hosiery making (Dry process only without any dyeing or washing operation)
52.	Railway sidings only for defence purpose
53.	Household bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable wastes, etc.
54.	Mini Hydel power plants (Capacity -25 MW)
55.	Agro-produce processing units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel (without effluent generation)
56.	Assembling units and mechanical workshops (without heat or surface treatment or spray painting)
57.	Bakery, confectionery, and sweets production units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel and with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
58.	Cleaning and other brushes manufacturing through dry mechanical process (without moulding and without effluent/emission generation)
59.	Cattle/ fish/ poultry feed pellet making (only palletisation unit without boiler and effluent generation)
60.	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jafri, well ring, blocks/tiles etc. (<1 TPD)*
61.	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
62.	Detergent powder manufacturing (handmade -without steam boiling or boiler)*
63.	Digital Printing on flex or vinyl, PVC etc. (less than 5 machines)*
64.	Distilled water using only electricity (< 1 KLD capacity)*
65.	DPC (paper coating) of copper and aluminium wire (only dry process)

66.	Food and food processing unit (having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD) using only cleaner fuels -electricity/gaseous fuel, with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
67.	Fuel dispensing unit only without automobile servicing repairing and painting
68.	Gold Assaying & Hallmarking Centres
69.	Herbal powder products making without extraction (dry process - without emissions or effluent generation)
70.	Industrial items from engineering plastics by fabrication process only (without moulding)
71.	Manufacturing of all types of threads, cordage, twines etc. (without ginning)
72.	Manufacturing of cotton vicks, tapes, bandages, adsorbent cotton etc. ((dry process without boiler and effluent generation)
73.	Manufacturing of Domestic Hardware and Utensils (Without heat/surface treatment/effluent generation)
74.	Manufacturing of products by only cutting/stitching/gumming (without effluent/emissions generation)
75.	Manufacturing of products through physical mixing only like - Floor Polish, Nail Polish, Hair Oil, Shampoo, Tooth Powder, Tooth Paste, Perfume, Hand Sanitizer, (Micro and small scale operations)
76.	Manufacturing of sanitary napkins/ diapers fixing and sealing (Small and Micro scale units without effluent/emission generation)
77.	Manufacturing of Stationery Items (by assembling, and cutting or punching or stapling or binding etc.)
78.	Metal fabrication works and hand tool manufacturing through machines (without heat or surface treatment or spray painting)
79.	Oil mill ghani and extraction no hydrogenation refining with capacity not exceeding 500 kg/day*
80.	Packing of food items (without processing)
81.	Paints and varnishes mixing and blending (without ball mill and only dry process)
82.	Plastic wire, net, nivar and other products (dry process through looping, twisting, cutting etc.)
83.	Puffed rice or murhi or chura with capacity not exceeding 1 TPD per day*
84.	Rice mills holler machine with capacity not exceeding 1 TPD per day*
85.	Small scale restaurant or hotel without room/cloud kitchens or Resorts (without stay/room facility)*
86.	Sports Goods Manufacturing Units (without seasoning of woods)

*Sub-sector of existing green category sector"

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-240741]

NEELES KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 12th November, 2024 and last amended vide number G.S.R. 511 (E), dated the 28th July, 2025 .



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267048
CG-DL-E-21102025-267048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 677]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 761(अ).— केन्द्रीय सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 702 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

क्षेत्र श्रेणी क्षेत्रों की सूची

औद्योगिक संयंत्र या क्षेत्र

क्रम सं.	औद्योगिक संयंत्र या क्षेत्र
1.	साइकिल, शिशु गाड़ियां और अन्य छोटे गैर मोटर चालित वाहनों की असेंबली

2.	बिकार कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
3.	अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
4.	ढलाई के बिना मुद्रण हेतु ब्लॉक बनाना (लकड़ी के ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
5.	सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूर्णतः शुष्क यांत्रिक प्रचालन)
6.	जूता ब्रश और वायर ब्रश का निर्माण
7.	कॉयर फाइबर या पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉयर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
8.	एयर कूलर या कंडीशनर की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
9.	कार्डबोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
10.	प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना/विद्युत ओवन)
11.	भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रिएक्टर के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन किए बिना)
12.	प्रयुक्त खाना पकाने के तेल संग्रह केंद्र (यूसीओ)
13.	साबुन विनिर्माण (हस्तनिर्मित - भाप उबालने या बॉयलर के बिना)
14.	डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
15.	केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब) और सीएफएल का निर्माण
16.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संयोजन (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
17.	इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयाँ (बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण परिचालन/पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
18.	स्प्रे पेंटिंग के बिना बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण (आरा मिल को छोड़कर) विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे कि विद्युत लकड़ी योजनाकार, स्टील आरी काटने वाले गोलाकार ब्लेड आदि की मदद से।
19.	स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर

20.	फीडस्टॉक पर आधारित संपीडित बायो गैस संयंत्र- नगर निगम का ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास या खरपतवार, पशु अपशिष्ट, दबा हुआ कीचड़, आदि (औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट के अतिरिक्त समान प्रकार के फीडस्टॉक के रूप में), कोई अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं करते और उप-उत्पादों का उत्पादन करते हैं,- (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और /या तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) समृद्ध खाद और /या (ii) विद्युत का उपयोग करके कोयले का चूर्ण या गोली बनाना।
21.	अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बिल्ड आन आपरेट / बिल्ड आन आपरेट ट्रांसफर / बिल्ड आपरेट ट्रांसफर मोड आदि पर इलेक्ट्रोलिसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना।
22.	संपीडित ऑक्सीजन गैस, कच्चे द्रव ऑक्सीजन से (किसी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
23.	कांच की नलियों से कांच और ऐम्प्यूल और शीशियां बनाना
24.	कांच नट की सजावट
25.	मेडिकल ऑक्सीजन
26.	हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
27.	वैज्ञानिक और गणितीय विनिर्माण
28.	जूट से उत्पादों का निर्माण (बिना रंगाई या बिना बॉयलर के)
29.	चमड़े के जूते और चमड़े के उत्पाद (टैनिंग और खाल प्रसंस्करण को छोड़कर)
30.	चमड़े की कटाई और मिलाई (10 से अधिक मशीनों और मोटर का उपयोग करके)
31.	जैविक खाद (भौतिक मिश्रण)
32.	पाउडर दूध की पैकिंग
33.	कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
34.	तार खींचना और तार जाल लगाना (परिष्करण रहित और ताप उपचार रहित)
35.	धातु आवरण डिब्बे का विनिर्माण
36.	भौतिक मिश्रण द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व (बॉयलर के बिना और किसी रिएक्टर के बिना)
37.	बिस्कुट तश्तरी आदि (स्वचालित निर्वात बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
38.	केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन का निर्माण
39.	ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन से मिलाकर)
40.	पेपर पिन, यू-क्लिप आदि का निर्माण।

41.	सौर फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन
42.	विद्युत मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
43.	प्लास्टिक या कपास की रस्सी का निर्माण
44.	टायर रेट्रेडिंग
45.	संग्रहण केंद्र (प्रदूषण-निवारण, वहिःस्राव और कतरन के बिना)
46.	केवल शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पाद (वहिःस्राव-उत्पादन प्रक्रिया के बिना)
47.	सौर मॉड्यूल या गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण का निर्माण
48.	डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
49.	चाय का सम्मिश्रण और पैकिंग
50.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें बिना बॉयलर के डबलिंग या रीलिंग या टीएफओ-टू फॉर वन यूनिट (शुष्क प्रक्रिया) शामिल है-
51.	सूती और ऊनी होज़ियर बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई या धुलाई प्रक्रिया के)
52.	रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्य के लिए
53.	जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों पर आधारित घरेलू जैव-पाचक/ गोबर-गैस (गोबर) संयंत्र आदि।
54.	मिनी हाइडल पावर प्लांट (क्षमता-25 एमवी)
55.	कृषि-उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, जो केवल स्वच्छ ईंधन-विद्युत कार्बनिक ईंधन (अपशिष्ट उत्पादन के बिना) का उपयोग करती हों।
56.	संयोजन इकाइयाँ और यांत्रिक कार्यशालाएँ (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)
57.	बेकरी, कन्फेक्शनरी और मिठाई उत्पादन इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, केवल स्वच्छ ईंधन - बिजली / गैसीय ईंधन का उपयोग करती हों और टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति हो।*
58.	शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सफाई और अन्य ब्रशों का निर्माण (बिना मोल्लिंग और बिना अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पादन के)
59.	मवेशी/मछली/मुर्गी आहार गोली निर्माण (बॉयलर और वहिःस्राव उत्पादन के बिना केवल पैलेटाइजेशन इकाई)
60.	सीमेंट उत्पाद (एस्वेस्टस का उपयोग किए बिना) जैसे पाइप, खंभा, जाफरी, कुआं रिंग, ब्लॉक/टाइलें आदि (<1 टीपीडी)*

61.	विद्युत भट्टी द्वारा सिरेमिक कप और प्लेटों की सजावट
62.	डिटर्जेंट पाउडर निर्माण (हस्तनिर्मित- भाप उबालने या बाँयलर के बिना)*
63.	फ्लेक्स या विनाइल, पीवीसी आदि पर डिजिटल प्रिंटिंग (5 मशीनों से कम)*
64.	केवल बिजली का उपयोग करके आसुत जल (< 1 KLD क्षमता)*
65.	तांबे और एल्यूमीनियम तार की डीपीसी (पेपर कोटिंग) (केवल शुष्क प्रक्रिया)
66.	खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई (क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम) जो केवल स्वच्छ ईंधन- बिजली/गैसीय ईंधन का उपयोग करती है, तथा टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति रखती है।*
67.	केवल ईंधन वितरण इकाई, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना
68.	स्वर्ण परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र
69.	निष्कर्षण के बिना हर्बल पाउडर उत्पाद बनाना (शुष्क प्रक्रिया- उत्सर्जन या वहिःस्राव उत्पादन के बिना)
70.	इंजीनियरिंग प्लास्टिक से औद्योगिक वस्तुएं केवल निर्माण प्रक्रिया द्वारा (मोल्टिंग के बिना)
71.	सभी प्रकार के धागे, डोरियाँ, सुतली आदि का निर्माण (बिना ओटाई के)
72.	विक्स, टेप, पट्टियाँ, सोखने वाली कपास आदि का निर्माण (बाँयलर और वहिःस्राव उत्पादन के बिना सूखी प्रक्रिया)
73.	घरेलू हार्डवेयर और बर्तनों का निर्माण (बिना ऊष्मा/सतह उपचार/वहिःस्राव उत्पादन के)
74.	केवल कटिंग/सिलाई/गर्मिंग द्वारा उत्पादों का विनिर्माण (वहिःस्राव/उत्सर्जन उत्पादन के बिना)
75.	केवल भौतिक मिश्रण के माध्यम से उत्पादों का विनिर्माण जैसे - फ्लोर पॉलिश, नेल पॉलिश, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट, परफ्यूम, हैंड सैनिटाइज़र, (सूक्ष्म और लघु पैमाने पर संचालन)
76.	सैनिटरी नैपकिन/डायपर फिक्सिंग और सीलिंग का विनिर्माण (अपशिष्ट/वहिःस्राव उत्पादन के बिना लघु और सूक्ष्म पैमाने की इकाइयां)
77.	स्टेशनरी वस्तुओं का विनिर्माण (संयोजन और काटने या छिद्रण या स्टेपलिंग या बाइंडिंग आदि द्वारा)
78.	मशीनों के माध्यम से धातु निर्माण कार्य और हस्त उपकरण निर्माण (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)

79.	तेल मिल घानी और निष्कर्षण, हाइड्रोजनीकरण रहित शोधन, क्षमता 500 किग्रा/दिन से अधिक नहीं*
80.	खाद्य पदार्थों की पैकिंग (प्रसंस्करण के बिना)
81.	पेंट और वार्निश मिश्रण और सम्मिश्रण (बॉल मिल के बिना और केवल सूखी प्रक्रिया)
82.	प्लास्टिक तार, जाल, निवार और अन्य उत्पाद (लूपिंग, घुमाव, काटने आदि के माध्यम से शुष्क प्रक्रिया)
83.	मुरमुरे या चूड़ा, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक न हो*
84.	चावल मिलों में प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक क्षमता वाली होलर मशीन*
85.	छोटे पैमाने के रेस्तरां या होटल बिना कमरे/क्लाउड किचन या रिसॉर्ट (बिना ठहरने/कमरे की सुविधा के)*
86.	खेल सामग्री निर्माण इकाइयाँ (लकड़ियों को बिना पकाए)

*मौजूदा हरित श्रेणी क्षेत्र का उप-क्षेत्र

[फा. सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू/ई-240741]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 12 नवंबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 512(अ), तारीख 28 जुलाई, 2025 को अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 761(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the further amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 702 (E), dated 12th November, 2024, namely:

In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE

LIST OF WHITE CATEGORY SECTORS

Sl. No.	Industrial plants or Sector
1.	Assembly of Bicycles, Baby carriages and other small non motorizing vehicles
2.	Bailing (hydraulic press) of waste papers

3.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
4.	Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
5.	Flavoured Betel nuts production/grinding (completely dry mechanical operations)
6.	Manufacturing of shoe Brush and Wire Brush
7.	Coir fibre or pith processing and/or Manufacturing of coir products from coir (only dry process)
8.	Assembly of air coolers or conditioners, repairing and servicing
9.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boilers)
10.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying or electrical oven)
11.	Standalone manufacturing of Concrete admixtures up to 1000 MT per Month capacity by physical mixing (without boiler and reactor and no generation of wastewater)
12.	Used cooking oil collection centres
13.	Soap manufacturing (handmade-without steam boiling or boiler)
14.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
15.	Electric lamp (bulb) and Compact Fluorescent Lamp (CFL) manufacturing by assembling only
16.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
17.	Engineering and fabrication units dry process without any heat treatment/metal surface finishing operations or painting)
18.	Carpentry and wooden furniture manufacturing without spray painting (excluding saw mill with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting, circular blade, etc.
19.	Steel furniture without spray painting
20.	Compressed Bio Gas plants based on feedstock-Municipal Solid Waste, agro-residue, energy crops grass or weeds, animal waste, press mud, etc. (as similar type feedstock apart from industrial or process waste), not discharging any waste water and producing by-products,- (i) Fermented Organic Manure (FOM) and/or Liquid Fermented Organic Manure (LFOM), enriched manure and/or (ii) Briquette or pellet using electricity.
21.	Hydrogen production through electrolysis (using renewable energy) on Build-Own-Operate (BOO) or Build-Own-Operate -Transfer ((BOOT) or Build-Operate-Transfer (BOT) mode etc., located in the premises of end user industry and directly using de-mineralized water & other utilities (cooling tower, ETP, etc.) sourced from end user industry
22.	Compressed oxygen Gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure and temperature only for separation of other Gases)
23.	Glass and ampules and vials making from Glass tubes
24.	Glass nut decorticating
25.	Medical Oxygen
26.	Handloom/carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)

27.	Manufacturing of scientific and mathematical
28.	Manufacturing of products from jute (without dyeing or without boiler)
29.	Leather foot wear and Leather products (excluding tanning and hide processing)
30.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
31.	Organic Manure (physical mixing)
32.	Packing of powdered Milk
33.	Cold rolling mill (without heat treatment)
34.	Wire drawing and wire netting (without pickling and without heat treatment)
35.	Manufacturing of Metal caps containers etc
36.	Organic and inorganic Nutrients by physical mixing (without boiler and without any reactor)
37.	Biscuits trays etc. from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
38.	Fountain Pen manufacturing by assembling only
39.	Glass Putty and sealant (by mixing with machine only)
40.	Manufacturing of Paper Pins, U-clips, etc.
41.	Solar Power generation through solar photovoltaic cell and wind power
42.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
43.	Manufacturing of plastic or cotton Rope
44.	Type Retreaders
45.	Collection Centres (Without depollution, dismantling and shredding)
46.	Surgical and medical products assembled only (without effluent-generating process)
47.	Manufacturing of Solar module or non-conventional energy apparatus
48.	Digital thermometer manufacturing
49.	Blending and packing of tea
50.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling or Reeling or TFO-Two for one unit (dry process)- without boiler
51.	Cotton and woollen Hosiery making (Dry process only without any dyeing or washing operation)
52.	Railway sidings only for defence purpose
53.	Household bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable wastes, etc.
54.	Mini Hydel power plants (Capacity -25 MW)
55.	Agro-produce processing units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel (without effluent generation)
56.	Assembling units and mechanical workshops (without heat or surface treatment or spray painting)
57.	Bakery, confectionery, and sweets production units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel and with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
58.	Cleaning and other brushes manufacturing through dry mechanical process (without moulding and without effluent/emission generation)

59.	Cattle/ fish/ poultry feed pellet making (only palletisation unit without boiler and effluent generation)
60.	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jafri, well ring, blocks/tiles etc. (<1 TPD)*
61.	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
62.	Detergent powder manufacturing (handmade -without steam boiling or boiler)*
63.	Digital Printing on flex or vinyl, PVC etc. (less than 5 machines)*
64.	Distilled water using only electricity (< 1 KLD capacity)*
65.	DPC (paper coating) of copper and aluminium wire (only dry process)
66.	Food and food processing unit (having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD) using only cleaner fuels -electricity/gaseous fuel, with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
67.	Fuel dispensing unit only without automobile servicing repairing and painting
68.	Gold Assaying & Hallmarking Centres
69.	Herbal powder products making without extraction (dry process - without emissions or effluent generation)
70.	Industrial items from engineering plastics by fabrication process only (without moulding)
71.	Manufacturing of all types of threads, cordage, twines etc. (without ginning)
72.	Manufacturing of cotton vicks, tapes, bandages, adsorbent cotton etc. ((dry process without boiler and effluent generation)
73.	Manufacturing of Domestic Hardware and Utensils (Without heat/surface treatment/effluent generation)
74.	Manufacturing of products by only cutting/stitching/gumming (without effluent/emissions generation)
75.	Manufacturing of products through physical mixing only like - Floor Polish, Nail Polish, Hair Oil, Shampoo, Tooth Powder, Tooth Paste, Perfume, Hand Sanitizer, (Micro and small scale operations)
76.	Manufacturing of sanitary napkins/ diapers fixing and sealing (Small and Micro scale units without effluent/emission generation)
77.	Manufacturing of Stationery Items (by assembling, and cutting or punching or stapling or binding etc.)
78.	Metal fabrication works and hand tool manufacturing through machines (without heat or surface treatment or spray painting)
79.	Oil mill ghani and extraction no hydrogenation refining with capacity not exceeding 500 kg/day*
80.	Packing of food items (without processing)
81.	Paints and varnishes mixing and blending (without ball mill and only dry process)
82.	Plastic wire, net, nivar and other products (dry process through looping, twisting, cutting etc.)
83.	Puffed rice or murhi or chura with capacity not exceeding 1 TPD per day*
84.	Rice mills holler machine with capacity not exceeding 1 TPD per day*
85.	Small scale restaurant or hotel without room/cloud kitchens or Resorts (without stay/room)

	facility)*
86.	Sports Goods Manufacturing Units (without seasoning of woods)

*Sub-sector of existing green category sector"

[F No. Q-15012/2/2022-CPW/e-240741]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 12th November, 2024 and last amended *vide* number G.S.R. 512 (E), dated the 28th July, 2025 .

मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 503/2025 (आई.ए. नं० 662/2025) (एकजीक्यूशन एप्लीकेशन नं० 13/2026) दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश 10.10.2025 एवं 18.03.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 503/2025 (आई.ए. नं० 662/2025) दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम रोहाना खुर्द, जनपद मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन कम्प्रेसड बायोगैस प्लांट मै० एमएसटी रिजोल्यूशन प्रा०लि० के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, जिसमें उक्त इकाई का निर्माण आवासीय क्षेत्र के निकट किये जाने एवं इकाई से स्कूल की दूरी 5 मीटर होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को दिनांक 27.05.2025 को शिकायत प्रेषित की गयी थी एवं अन्य शिकायत क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को शिकायत प्रेषित की गयी, जिसका वर्तमान तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 10.10.2025 को वाद की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..... 4. Having regard to the nature of grievance which the Applicant has raised, we deem it proper that the concerned authorities, i.e., District Magistrate and the Regional Officer should consider the grievance raised by the Applicant in the representation expeditiously.

5. Hence, we dispose of the OA directing the Respondent No. 1, District Magistrate, Muzaffarnagar and Respondent No. 2-UPPCB to duly consider the representations made by the Applicant in accordance with law after following the due process, as expeditiously as possible, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order."

अग्रेतर, शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार द्वारा मा० एनजीटी में योजित वाद ओ०ए० सं०-503/2025 में ई०ए० सं०-13/2026 दायर की गयी है, जिसमें मा० अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2026 पारित किये गये हैं जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"2. Learned counsel for the applicant submits that in compliance of the order of the Tribunal, applicant had submitted the representation to the District Magistrate, Muzaffarnagar and the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board on 26.10.2025 and thereafter a Joint Committee was constituted by the District Magistrate on 08.12.2025 but subsequently no action has been taken and the order of the Tribunal has not been complied with."

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक आख्या निम्नवत् है :-

- 1- मै० एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा०लि०, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर पर स्थित है, जिसमें कच्चे माल के रूप में Cow Slurry, Agri waste, Vegetable waste, Press Mud, Sugarcane Waste, Straw and Rice Silage का प्रयोग कर Compressed Biogas, Fermented Organic Manure का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रस्तावित इकाई निर्माणाधीन अवस्था में है।

क्रमशः ...2...

- 2- उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक 191221/UPPCB/MuzaffarNagar (UPPCBRO)/CTE/MUZAFFARNAGAR/2023 दिनांक 04.10.2023 द्वारा उद्योग को स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। (संलग्नक-1)।
- 3- उद्योग को न्यायालय उपजिलाधिकारी तहसील सदर, मुजफ्फरनगर द्वारा वाद सं0 2603/2023 फैसला दिनांक 24.03.2023 के द्वारा खसरा नं0 582, 583, 584, 586, 603, 604 का भू-प्रयोग M/s MST Resolution India Private Limited को कम्प्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु धारा 80(2) के तहत पारित आदेश में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत एमओयू में दिये गये शर्तों के अधीन अकृषक घोषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की आख्या

- 4- मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र सं0 994/ओ0ए0 नं0 503/दीपक कुमार/2025 दिनांक 08.12.2025 द्वारा उद्योग के संयुक्त निरीक्षण एवं तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी-सदर, उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति गठित की गयी।
- 5- जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत् प्रस्तावित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.12.2025 को किया गया।
- 6- प्रस्तावित उद्योग मै0 एम.एस.टी. रिजोल्यूशन इण्डिया प्रा0लि0, ग्राम रोहाना खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर की स्थापना खसरा सं0-582, 583, 584, 586, 603 व 604 ग्राम रोहाना खुर्द, परगना व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर पर की जा रही है।
- 7- उद्योग के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रस्तावित उद्योग स्थल की उत्तर-पश्चिम दिशा में बाउण्ड्री वॉल (29.586478, 77.701107) से प्राइमरी विद्यालय रोहाना खुर्द की दूरी लगभग 28 मीटर पायी गयी, प्रस्तावित सी0बी0जी0 के निर्माणाधीन कार्यालय भवन (29.585901, 77.701358) से उत्तर-पश्चिम दिशा में निकटतम आबादी की दूरी लगभग 30 मीटर पायी गयी, निर्माणाधीन सी0बी0जी0 डाईजेस्टर (29.585385, 77.701560) से उत्तर-पश्चिम दिशा में निकटतम आबादी की दूरी लगभग 65 मीटर पायी गयी तथा डाईजेस्टर के मध्य से (29.585172, 77.701558) लगभग 89 मीटर पायी गयी। निर्माणाधीन सीबीजी प्लांट की उत्तर दिशा की बाउण्ड्रीवॉल ग्राम रोहाना खुर्द की आबादी से लगी हुई है। निरीक्षण दिनांक 18.12.2025 के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत हैं :-

क्रमशः3....



क्रमशः4....

RPL
JE

Manish
(AEE)

- 8- प्रश्नगत ओरिजनल एप्लीकेशन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न शिकायत में ग्राम रोहाना खुर्द में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा गठित टेक्नीकल टीम द्वारा बताये गये स्थान पर न कराकर अन्य स्थान पर कराये जाने सम्बन्धी अवगत कराते हुए नाले के निर्माण को रूकवाये जाने व टेक्नीकल टीम द्वारा बताये गये स्थान पर ही नाला निर्माण कराये जाने की शिकायत के संदर्भ में जांच की गयी। तत्सम्बन्ध में विकास विभाग एवं राजस्व टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम निवासियों एवं ग्राम प्रधान की सहमति से ग्राम रोहाना खुर्द की पानी निकासी की समस्या के समाधान हेतु ग्राम से छपार रोड तक जाने वाले रास्ते के एक सिरे पर नाला खुदाई का कार्य किया गया, जिससे पानी की निकासी की समस्या का पूर्ण समाधान हो गया है। वर्तमान में पानी निकासी की कोई समस्या शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी-सदर की जाँच आख्या दिनांक 24.12.2025 संलग्न है (संलग्नक-3)।
- 9- प्रस्तावित उद्योग द्वारा प्रोसेस से जनित फर्मेन्टेड ऑर्गेनिक मेन्योर एवं लिक्विड फर्मेन्टेड ऑर्गेनिक मेन्योर को उद्योग परिसर से टैंकर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सैन्ट्रल फीड स्टॉक एवं फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राम बेगमपुर, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। उक्त स्थल के जियो कॉर्डिनेट्स 29.576916, 77.695333 हैं एवं उद्योग द्वारा कम्प्रेसड बायोगैस प्लांट को क्लोज लूप सिस्टम के आधार पर शून्य उत्प्रवाह निस्तारण प्रणाली पर संचालित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है (संलग्नक-4)।
- 10- उक्त प्रस्तावित उद्योग श्वेत श्रेणी के उद्योगों में आच्छादित है। राज्य बोर्ड के पत्रांक एच33995/विधि/ई-फाइल 656674/25 दिनांक 29.10.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं0 जीएसआर762ई दिनांक 17.10.2025 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत जीएसआर762ई दिनांक 17.10.2025 द्वारा श्वेत श्रेणी के उद्योगों को सहमति सम्बन्धी प्राविधानों के अधीन इस शर्त के साथ छूट प्रदान की गयी है कि श्वेत श्रेणी में आच्छादित उद्योग राज्य बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
- 11- उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 27.03.2026 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग स्थल पर बाउण्ड्री वॉल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, डाइजेस्टर हेतु खोदे गये पिट्स में मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत हैं :-

क्रमशः5....

Roh
/FRoh
(AEE)

परियोजना के निरीक्षण दिनांक 27.03.2026 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ



आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

Jubsh
02/4/26

Raja
02/4/26
(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

Kantosh - 02/4/26
(कुंवर संतोष कुमार)
सहायक अभियन्ता

PHOTOGRAPHS OF THE LATEST INSPECTION DATED 27.03.2026

